प्रकरण संख्या 94 / 2015

अनवान

1 श्री रूघनाथ पिता रामा चमार निवासी रूपपुरा उर्फ गुसाई खेडा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
2 जमनालाल पिता रामा चमार निवासी रूपपुरा उर्फ गुसाई खेडा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
3 बरदी पुत्री रामा चमार निवासी रूपपुरा उर्फ गुसाई खेडा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
4 राधा पुत्री रामा चमार निवासी रूपपुरा उर्फ गुसाई खेडा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
5 खानी पुत्री रामा चमार निवासी रूपपुरा उर्फ गुसाई खेडा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

.... वादीगण

बनाम

1 प्रेम पुत्री रूपा गुर्जर निवासी रूपपुरा उर्फ गुसाई खेडा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
2 रूकमा पुत्री रूपा गुर्जर निवासी रूपपुरा उर्फ गुसाई खेडा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
3 नोसी पुत्री रूपा गुर्जर निवासी रूपपुरा उर्फ गुसाई खेडा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
4 नानी पुत्री रूपा गुर्जर निवासी रूपपुरा उर्फ गुसाई खेडा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
5 श्रीमति राजी बैवा रूपा गुर्जर निवासी रूपपुरा उर्फ गुसाई खेडा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
6 जग्गा पिता धुला गुर्जर निवासी रूपपुरा उर्फ गुसाई खेडा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
7 नारायण पिता मुतबन्ना लक्ष्मण गुर्जर निवासी रूपपुरा उर्फ गुसाई खेडा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
8 राज. राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भील0

..... प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92क व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :::– मुरारी जोशी.....वादी

–:: निर्णय ::–

दिनांक 05.06.2017

1. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद विरूद्ध प्रतिवादी के इस आशय का प्रस्तुत किया कि वाके रूपपुरा उर्फ गुसाई खेडा पटवार हल्का लाम्बियाखुर्द तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा स्थित आराजी संख्या 261 रकबा 7–10 बीघा भूमि जो वर्तमान में राजस्व रेकार्ड मं प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 07 तथा महबूब खां पिता सालू खां कायमखानी के नाम पर दर्ज है। वादग्रस्त आराजीयात के साबिक आराजी संख्या न 351/1 है जो वादीगण के पिता रामा पिता सोला चमार निवासी रूपपुरा उर्फ गुसाई खेडा द्वारा कुल रकबा 07–10 बीघा में से 02–10 बीघा प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 04 के पिता व प्रतिवादिया संख्या 05 के पति रूपा गुर्जर प्रतिवादी संख्या 06 जग्गा गुर्जर व प्रतिवादी संख्या 07 के पिता लक्ष्मण गुर्जर से दिनांक 29.04.1975 रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के जरिये क्रय कर कब्जा प्राप्त किया, तथा वादीगण के पिता रामाजी उक्त खरीदशुदा भूमि रकबा 02–10 बीघा पर काबिज थे, एंव उनके मृत्यूपंरान्त वादीगण उक्त खरीदशुदा भूमि पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। किन्तु राजस्व कर्मचारीयों द्वारा भूलवश वादीगण की खदीदशुदा भूमि वर्तमान में राजस्व अभिलेखो में प्रतिवादीगण के नाम पर चली आ रही है। अतः वादीगण अपना नाम राजस्व रेकार्ड मे प्रतिवादीणग संख्या 01 लगायत 07 के साथ दर्ज करवाने व रकबा 02–10 बीघा को अपने नाम पर दर्ज करवाने व खातेदार काश्तकार घोषित होने के अधिकारी है। तद्नुसार घोषणात्मक डिकी बहक वादीगण विरूध प्रतिवादीगण सादर फरमायी जावें।

2. प्रकरण को दिनांक 30.1.1.2015 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणो की तल्बी की गई। दिनांक 16.03.2017 को विपक्षीगण सूचना के बावजूद नियत पैशी पर अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी । इसी दौरान प्रकरण को राजस्व लोक अदालत केम्प मुकाम

उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा राज

लाम्बियाखुर्द के लिए पंजीबद्ध किया गया। विपक्षी संख्या 08 राज्य पक्ष तहसीलदार बनेडा की और से वादपत्र में ईकबालिया जवाब प्रस्तुत हुआ जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्राप्त रिपोर्ट अनुसार वादीगण संख्या 01,02 के तीन जाइन्दा बहने बरदी, राधा, खानी, होना जाहिर आया। इसकी जानकारी वक्त केम्प उपस्थित वादीगण के अधिवक्ता दी गयी, तथा उनके द्वारा वादपत्र में तीनो बहनों के नाम बतौर पक्षकार वादीगण के साथ संयोजित करने बाबत एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा आदेश 01 नियम 10 व धारा 151 जा0दी0 केम्प के दौरान प्रस्तुत किया तथा स्वीकार किया जाने बाबत निवेदन किया। उपस्थित वादीगण को सुना गया तथा प्रस्तुत प्रार्थनपत्र के अवलोकन व परिक्षण पश्चात प्रार्थनापत्र आदेश 01 नियम 10 व धारा 151 जा0दी0 स्वीकार कर तीनो बहनो बरदी, राधा, खानी, पुत्रीया रामा चमार के नाम बतौर पक्षकार वादीगण संख्या 03,04,05 स्थान पर संयोजित किया जाने की आज्ञा पारित की गयी। वादपत्र के अन्तिम निपटारे के लिए वादीगण संख्या 01 व 02 द्वारा शिविर में प्रस्तुत शपथपत्रो को शामिल पत्रावली किया गया। एंव प्रतिवादी संख्या 08 राज्य पक्ष तहसीलदार बनेडा द्वारा उपस्थित होकर वादपत्र स्वीकार किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की।

3. उक्त प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य, एंव प्रस्तुत शपथपत्र पी0डब्ल्यू–1, पी–डब्ल्यू–2 एवं वादपत्र का अध्ययन एवं मनन उपरान्त वादी द्वारा वादपत्र को स्वीकार किये जाने में अपनी और से लिखित बहस तथा समर्थन में प्रस्तुत शपथपत्र रेकार्ड, से यह प्रमाणित होता है कि वादीगण अपना नाम राजस्व रेकार्ड मे साबिक व हाल जरीब में तफावत होने से हाल जरीब से पुराने रकबा 02–10 का नया रकबा 02–02 बीघा बनता है, जो प्रतिवादीणग संख्या 01 लगायत 07 के साथ दर्ज करवाने व रकबा 02–02 बीघा को अपने नाम पर दर्ज करवाने व खातेदार काश्तकार घोषित होने के अधिकारी है। । तथा विपक्षी संख्या 08 के ईकबालिया जवाब तथा समर्थन में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट से इसकी पूष्टी होती है। अतः वादीगण का वाद पत्र लोक अदालत की भावना को मध्य नजर रखते हुए स्वीकार योग्य है।

–::आदेश::–

वादीगण का वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम रूपपुरा उर्फ गुसाई खेडा पटवार हल्का लाम्बियाखुर्द भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र रायला तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा स्थित आराजी संख्या 261 रकबा 07–10 बीघा में वादीगण अपना नाम राजस्व रेकार्ड मे प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 07 के साथ दर्ज करवाने व हाल जरीब अनुसार रकबा 02–02 बीघा को वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर इस आशय की अन्तिम डिक्री पारित की जाती है। साथ ही प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 07 को इस आशय की स्थाई निषेद्याज्ञा की डिक्री से पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण के हक एवं स्वामित्व के भू भाग पर किसी भी प्रकार की नाजायज दखंलनदाजी न तो स्वयं करें न ही अन्य से करावें अन्तिम डिक्री की प्रति तहसीलदार बनेड़ा को पालनार्थ भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। उक्तानुसार डिक्री पर्चा तरतीब किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 05.06.2017 को राजस्व लोक अदालत केम्प मुकाम लाम्बियाखुर्द में खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रतनलाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
राष्ट्रीय लोक अदालत मुकाम लाम्बियाखुर्द तहसील बनेड़ा
: : मूल वाद मे अन्तिम डिक्री : :
{आदेश 20 नियम 6, 7 जा0दी0}

प्रकरण संख्या 94/2015

अनवान

1 श्री रूघनाथ पिता रामा चमार निवासी रूपपुरा उर्फ गुसाई खेडा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
2 जमनालाल पिता रामा चमार निवासी रूपपुरा उर्फ गुसाई खेडा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
3 बरदी पुत्री रामा चमार निवासी रूपपुरा उर्फ गुसाई खेडा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
4 राधा पुत्री रामा चमार निवासी रूपपुरा उर्फ गुसाई खेडा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
5 खानी पुत्री रामा चमार निवासी रूपपुरा उर्फ गुसाई खेडा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

.... वादीगण

बनाम

1 प्रेम पुत्री रूपा गुर्जर निवासी रूपपुरा उर्फ गुसाई खेडा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
2 रूकमा पुत्री रूपा गुर्जर निवासी रूपपुरा उर्फ गुसाई खेडा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
3 नोसी पुत्री रूपा गुर्जर निवासी रूपपुरा उर्फ गुसाई खेडा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
4 नानी पुत्री रूपा गुर्जर निवासी रूपपुरा उर्फ गुसाई खेडा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
5 श्रीमति राजी बैवा रूपा गुर्जर निवासी रूपपुरा उर्फ गुसाई खेडा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
6 जग्गा पिता धुला गुर्जर निवासी रूपपुरा उर्फ गुसाई खेडा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
7 नारायण पिता मुतबन्ना लक्ष्मण गुर्जर निवासी रूपपुरा उर्फ गुसाई खेडा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
8 राज. राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भील0

..... प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92क व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :::– मुरारी जोशी.....वादीगण

वादीगण का वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 88–89–92क–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम रूपपुरा उर्फ गुसाई खेडा पटवार हल्का लाम्बियाखुर्द भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रायला तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा स्थित आराजी संख्या 261 रकबा 07–10 बीघा में वादीगण अपना नाम राजस्व रेकार्ड मे प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 07 के साथ दर्ज करवाने व हाल जरीब अनुसार रकबा 02–02 बीघा को वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर इस आशय की अन्तिम डिकी पारित की जाती है। साथ ही प्रतिवादी संख्या 01, लगायत 07 को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री से पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण के हक एवं स्वामित्व के भू भाग पर किसी भी प्रकार की नाजायज दखंलनदाजी न तो स्वयं करें न ही अन्य से करावें। तहसीलदार बनेड़ा तद्नुसार राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद करें। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करे। डिक्री की प्रति तहसीलदार बनेड़ा को पालनार्थ भिजवाई जावे।

आज दिनांक 05.06.2017 को राजस्व लोक अदालत केम्प मुकाम लाम्बियाखुर्द में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी गयी।

(रतनलाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा